न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 729/2020/जिला–नागौर

धनेश बागड़ा पुत्र बोदूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, परबतसर जिला नागौर।
2. मोहन लाल पुत्र जगनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी परबतसर जिला नागौर दिनांक 14–2–2020
प्रकरण संख्या 60/2018 बउनवान मोहनलाल बनाम सरकार

————

उपस्थित–
1. श्रीमती पूनम माथुर अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री विजय दिवाकर अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांकः– 20–9–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण का उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–2–2020 द्वारा स्वीकार कर ट्रेस नक्शे में शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के उक्त आदेश दिनांक 14–2–2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–2–2020 से अपीलार्थी प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है चूंकि अपलार्थी विवादित आराजियात का सहखातेदार काश्तकार होकर अपीलार्थी का उक्त आराजी में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी विवादित आराजियात में सहखातेदार नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और ना ही अपीलार्थी का खेत पर आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध हुआ है ऐसे में उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के आदेश दिनांक 14–2–2020 से अपीलार्थी कतई व्यथित नहीं है एवं ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी का रास्ता अवरूद्ध किया जाना सिद्ध होता हो। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी सहखातेदार दर्ज नहीं थे न ही काबिज है जिससे अपीलार्थी कतई उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है।

विवादित आराजियात का संबंध केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 की खातेदारी से है और उक्त खातेदारी की भूमि का अपीलार्थी से काई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात साबिक खसरा नम्बर 586 व 591 जिसके हाल खसरा नम्बर 790 व 791 है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजियात जिसके साबिक खसरा नम्बर 610 व 612 है जिसके हाल खसरा नम्बर 826 है इस प्रकार अपीलार्थी विवादित आराजियात का सहखातेदार नहीं होने से कतई व्यथित पक्षकार नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व अन्य खातेदारों ने अपनी भूमि समर्पण कर रास्ता दिया है लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता गलत रूप से प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि के बीच में दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करवाकर प्रत्यर्थी ने स्वयं की खातेदारी की भूमि की मेड पर दर्ज करवाया है इस प्रकार प्रत्यर्थी ने केवल खेत के बीच में दर्ज रास्ते को सुचारू रूप से चालू रास्ते की जगह दर्ज करवाया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में गलत रूप से रास्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया गया था जबकि उक्त गलत दर्ज रास्ते की भूमि प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि होकर उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को पक्षकार बनाने का निवेदन किया है जिसे

उपखण्ड अधिकारी ने निरस्त कर दिया जिसकी निगरानी अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की लेकिन राजस्व मण्डल ने उक्त निगरानी में निर्णय पारित कर अपीलार्थी को पक्षकार बनाने या व्यथित पक्षकार मानने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के प्रोपर आदेश के बिना अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल के खेत पुराने खसरा नम्बर 610 की 31बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 612 की 01 बीघा कुल 32 बीघा 01 बिस्वा भूमि के बीच विवादित रास्ता पुराना खसरा संख्या 613 स्थित है। उक्त रास्ता आबादी ढाणी के पुराने खसरा नम्बर 611 तक स्थित है हालांकि वर्तमान में इस खसरा नम्बर 611 गै.मु.ढाणी में कोई नहीं रहता है, उक्त रास्ते का उपयोग पुराने खसरा नम्बर 582, 583, 584, 585, 586, 587, 610, 612, 614, 615 के सभी खातेदार व खसरा संख्या 611 की ढाणी वाले जेवलिया परिवार सैकड़ों वर्षो से करते रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल की भूमि के पुराने खसरा संख्या 610 व 612 को नये खसरा संख्या 825 व 826 में व जेवलियों की ढाणी के पुराना खसरा संख्या 611 को नया खसरा संख्या 827 में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व जेवलियों की ढाणी के उत्तर में अपीलार्थी की जमीने स्थित है जिनके पुराने खसरा संख्या 586, 587, 588, 589, 590 व 591 है जिन्हें अंतिम भू–प्रबन्ध में नये खसरा संख्या 790 व 791 में कन्वर्ट कर दिया गया है। पत्रावली में सलग्न नजरी नक्शे में प्रत्यर्थी संख्या 2 की जमीन को पीले रंग से, सरकारी भूमि गै.मु. रास्ता पुराने खसरा संख्या 613 को बिन्दू ए से बी के बीच लाल रंग से, अंतिम भू–प्रबन्ध में नये खसरा संख्या 828 गै.मु. रास्ता को बिन्दु सी से डी के बीच लाल रंग से तथा सरेण्डर किये गये रास्ते को बिन्दु ई से एफ के बीच लाल रंग से दर्शाया गया है। नजरी नक्शा में बिन्दु ए से बी के बीच लाल रंग से बताया रास्ता पुराना खसरा संख्या 613 गै.मु.रास्ता है जिस पर प्रत्यर्थी मोहनलाल ने अतिक्रमण कर लिया है इस मामले मे प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम में तहसलदार परबतसर ने बेदखली के आदेश पारित किये है इस राजकीय सार्वजनक भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने की नियत से प्रत्यर्थी संख्या 2 ने खसरा संख्या 612 की पश्चिमी सींव के पास कुछ भूमि सरेण्डर कर वहां पर जबरन रास्ता बना दिया है एवं अंतिम भू–प्रबन्ध में भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 613 का रकबा नवीन खसरा नम्बर को 828 में दर्ज कर प्रत्यर्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर इसे नक्शे में खसरा संख्या 612 की उत्तरी सीमा में

दर्ज कर दिया गया है जबकि वहां पर न तो कभी रास्ता था एवं न ही वर्तमान में है। राजस्व नक्शा सम्वत् 1978–79 एवं बाद में भू–प्रबन्ध एवं भू–सुधार नक्शों में इसे राजकीय भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्जकिया गया है तथा जमाबंदी सम्वत 2020 से लेकर अन्त तक इसे गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी खसरा नम्बर 613 की भूमि को हड़पना चाहता है। अपीलार्थी के खेत का कटाणी रास्ता नहीं खोलना चाहता है एवं इसी बदनियती से धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी परबतसर से गलत तथ्यों के आधार पर प्रकण संख्या 60/18 में अपीलार्थ ने पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र दिनांक 3–12–2019 को अस्वीकार करवाकर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्षकार बनने के आवेदन पत्र को दिनांक 3–12–2019 को अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या एलआर/7671/2019 नागौर प्रस्तुत कर रखी है जो दिनांक 23–12–2019 को दर्ज हो गई थी उक्त निगरानी में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20–9–2021 की गई थी।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 1227/2020 प्रस्तुत की उक्त अपील को माननीय न्यायलय द्वारा दिनांक 4–3–2020 को गुणावगुण पर विचार किये बिना निर्णित कर व्यथित पक्ष अपीलार्थी को न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी माना एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेरके निर्णय दिनांक 4–3–2020 से आगामी एक सप्ताह तक माननीय न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश भी दिये। माननीय राजस्व मण्डल ने आदेश में यह भी अंकित किया कि अपीलार्थी को यदि ऐसे किसी आदेश से व्यथित है तो वह संभागीय आयुक्त के यहां अपील संबंधी कार्यवाही कर सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय से जो आदेश पारित करवाया है वह रास्ता केवल अपीलार्थी व अपीलार्थी के भाईयों व अपीलार्थी के पुत्र के ही खेत का रास्ता है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–2–2020 से अपीलार्थी के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होनेके बावजूद एवं सरकार के खिलाफ होते हुए भी तहसीलदार परबतसर ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। उक्त प्रकरण की शुरूआत 2010 से होती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 613 में अतिक्रमण कर इस रास्ते के दोनों तरफ स्थित अपने दोनों खसरा संख्या 610 व 612 की जमीनों को मिलाकर अपीलार्थी के खेतो का रास्ता बन्द कर दिया गया तब पटवारी हलका परबतसर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसील कार्यालय में प्रकरण दर्ज कर उसमें दिनांक 14–5–2010 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को अतिक्रमी साबित मानकर

बेदखली के आदेश पारित कर दिये। इन आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आज तक कोई अपील नहीं की है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस आवेदन मे यह अवगत कराया कि विवादित रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' में बताये गये बिन्दु एबीसीडी के बीच चलता है नक्शे में बताये स्थान पर नहीं चलता है मौके पर स्थित वास्तविक मार्ग को रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए अपीलार्थी सहित अन्य खातेदारान ने अपने खेतों की भूमि को सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु दिनांक 13–9–2010 को समर्पित कर दी। तहसीलदार के आदेशानुसार पटवारी ने समर्पणनामा के अनुसार नक्शा ट्रेस में रास्ते को सही अंकित नहीं किया है गलत तरीके से अंकित कर दिया है तथा अपीलार्थीके खसरा संख्या 612 में 11 मीटर भूमि का रकबा उत्तरी पश्चिमी कूट पर कम कर दिया है तथा खसरा संख्या 610 में से 3 मीटर भूमि उत्तरी पूर्वी कूट पर कम कर दिया है तथा खसरा संख्या 612 की पश्चिमी सींव पर रास्ते हेतु समर्पित की गई भूमि 10 X 3 गट्टा कुल 30 गट्टा को रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 612 के पश्चिमी सींव पर नक्शा ट्रेस नहीं किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का यह कथन पटवारी हलका द्वारा तहसीलदार, परबतसर को दिनांक 28–1–2020 को जरिये पत्र सूचना से झूठा साबित हो जाते हैं। पटवारी हलका द्वारा दिनांक 28–1–2020 को जरिये पत्र सूचना दी गई के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2058–61 के खाता संख्या 818 में समर्पणनामा का नामान्तरकरण संख्या 4260 द्वारा रास्ते हेतु 612/1 रकबा 0.01 बीघा सिवायचक में दर्ज हुआ था जो बाद में ना ही तो इसका नया नम्बर मिले ना ही नक्शे में इस नम्बर की तरमीम की गई वर्तमान में खसरा संख्या 828 पूर्व के खसरा संख्या 613 के स्थान पर बना है। इस पत्र में बिन्दु तीन में पटवारी हलका ने लिखा है कि समर्पणनामा के आधार पर राजस्व नक्शे में कोई तरमीम अमल दरामद नहीं है। बिन्दु संख्या 4 में पटवारी हलका ने उल्लेख किया है कि समर्पणनामा के आधार पर राजस्व नक्शे में अमल दरामद नहीं है तथा यह भी लिखा है कि नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' में रास्ता ख, ग से दर्शित रास्ता के स्थान पर सेटलमेंट द्वारा नजरी नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' में दर्शित एक्स वाई पर अंकित किया गया है। तथा इस बिन्दु के पांच में पटवारी हलका ने स्पष्ट अंकित किया है कि वर्तमान नक्शा में सेटलमेंट द्वारा खसरा संख्या 613 के स्थान पर नया नक्शा में खसरा संख्या 828 की तरमीम की गई है। समर्पणनामा के द्वारा ना ही मूल खसरे का समर्पणशुदा भूमि का रकबा कम किया है ना ही तरमीम किया है बाकी शुद्धिकण के लिए प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। अतः जब सम्पर्णनामा के अनुसार पटवारी हलका अथवा तहसीलदार द्वारा नक्शे में कोई अंकन किया ही नहीं है तो वे त्रुटियुक्त कैसे हो सकते है? प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा कि वर्तमान ट्रेस नक्शे में खसरा नम्बर 826 की उत्तरी पश्चिमी कूट पर 10 X 3 गट्टा कुल 30 गट्टा भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे व खसरा नम्बर 826 के उत्तरी पश्चिमी कूट की तरफ 11 मीटर व उत्तरी पूर्वी कूट की तरफ 3

मीटर कम दर्ज की गई त्रुटि का शुद्धिकरण कर उक्त भूमि खसरा नम्बर 826 में दर्ज की जावे तथा नजरी नक्शा ट्रेस ''ब'' में दर्शित मार्ग मार्क एक्स से वाईको जरिये शुद्धिकरण हटाया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 2 एक तरफ तो यह कहता रहा है कि राजकीय खाते में दर्ज गै.मु.रास्ता मौके पर कभी रास्ता नहीं रहा है, दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि रास्ते हेतु अपीलार्थी सहित अन्य लोगो ने अपने खाते की जमीनों को दिनांक 13–9–2010 को समर्पित किया है एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हुए है लेकिन उनमें त्रुटियां कर दी है। नजरी नक्शे केअनुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार देखा जाये तो उक्त प्रकरण में रास्ते की तीन स्थितियां बना दी गई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल अपनी मनमर्जी से रिकार्ड में इन्द्राज करवाना चाहता है। जिसके लिए उसने धारा 136 का दुरूपयोग किया है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा–136 के आवेदन पत्र में सैकड़ों वर्षो पुराने गै.मु.रास्ता पुराने खसरा संख्या 613 को नक्शे में गलत स्थान पर बताया गया लेकिन जब अपीलार्थी ने पक्षकार बनने का आवेदन कर इसका विरोध किया तो अधीनस्थ न्यायालय व प्रत्यर्थी ने इस मामले को समर्पणनामा के आधार पर अंकित रास्ते को त्रुटियुक्त करार देकर एवं उसमें अपीलार्थी धनेश बागड़ा का हित नहीं दर्शाकर उसका आवेदन पत्र खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल ने अपनी मनमर्जी से अपने खसरा संख्या 612 की पश्चिमी सीमा पर रास्ते हेतु कुछ भूमि समर्पित कर राजस्व रेकार्ड में नया रास्ता बिना किसी आदेश एवं आधार के दर्ज करवा दिया। अपीलार्थी को जबरन पुराने कदीमी कटाणी रास्ते से बेदखल कर दिया एवं इस प्रकरण के विचाराधीन रहते धारा 91 की कार्यवाही भी तहसीलदार ने रोक दी है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आवेदन पत्र में यह भी अंकित किया है कि यह मार्ग नक्शे में दर्शित स्थान पर सेटलमेंट के पूर्व से मौके पर कभी भी नहीं रहा है। इसके अनुसार प्रत्यर्थी का अवेदन पुराने खसरा संख्या 613 की भूमि को हड़पने का ही है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 610 व 612 वाली यह भूमि पहले नारिया, धन्ना, रामनाथ पुत्र नानग जाट के पास थी। सम्वत 2026–29 के जमाबंदी चौसाला में नामान्तरकरण संख्या 931 द्वारा यह 32 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने प्रथम भू–प्रबन्ध के काफी वर्षो बाद इन खसरों की यह भूमि क्रय की है। प्रथम भू–प्रबन्ध के समय से यह भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 के परिवार के पास नहीं रही एवं इस तथ्य को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा छिपाया गया है। प्रथम भू–प्रबन्ध के समय से रिकार्ड की स्थिति के संबंध में गलत तथ्य भी अंकित किये है। अतः जब भूमि क्रय की गई जब जो राजस्व रेकार्ड की स्थिति थी उससे बाहर जाने का भी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 2 को नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–2–2020 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजियात है जिसमें से गलत रूप से दौराने सेटलमेंट रास्ता दर्ज कर दिया गया। जिन खसरा नम्बर में रास्ता दर्शाया गया है उनके हाल व साबिक खसरा नम्बर निम्न प्रकार हैः—

नये नम्बर	पुराने नम्बर	खातेदार
829	584, 614	अन्य पड़ौसी
830	583, 613	अन्य पडौसी
843	582, 623	अन्य पडौसी
826	610, 612	प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल

उक्त मार्ग मौके पर कभी अवस्थित नहीं रहा है इस प्रकार उक्त रास्ता गलत रूप से अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 826 के बीच में से निकाल दिया गया है जिस कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 मोहनलाल ने उक्त रास्ते को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 826 की मेड़ पर दर्ज करने का निवेदन किया गया।

उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड के अनुसार मौके पर मौजूद नहीं होने से प्रत्यर्थी व प्रत्यर्थी के पड़ौसी खातेदारों ने अपनी भूमि का समर्पण 13—9—2010 को किया था। जिसके अनुसार निम्न खसरा नम्बर में से रास्ता दिया गया था। उक्त समर्पण की गई भूमि को राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार परबतसर ने समर्पण पत्र तस्दीक कर स्वीकार की एवं समर्पण पत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 13—9—2010 को दिये। जिसके अनुसार तहरीर पटवारी को जारी की गई। जिसके अनुसार पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 4260/2010 दिनांक 23—9—2010 को दर्ज कर उक्त भूमियां रास्ते के रूप में दर्ज की गई। जिसमें प्रत्यर्थी के खसरा नम्बर 612 में से गई भूमि के नये नम्बर 612/1 कायम किये गये। लेकिन पटवारी ने नामान्तरकरण की पुस्तिका की पुस्त पर खसरा नम्बर 612/1 गलत रूप से उत्तरी दिशा में दर्ज कर दिया। जिससे सर्मपण किया गया मार्ग जहां समर्पण किया गया था वहां राजस्व रेकार्ड में दर्ज न होकर गलत तरीके से अंकित हो गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। समर्पण किये गये गये नम्बर निम्नानुसार है जिससे अपीलार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

खसरा नम्बर	एरिया	गठा
612	10 X 3	30
584	70 X 3	210

583	86 X 3	258
582	102 X 3	306
580	136 X 3	408

उक्त समर्पणशुदा नजरी नक्शे को दुरूस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी धनेश बांगड़ा ने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का निवेदन किया। लेकिन उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं मानकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 3–12–2019 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने एक निगरानी एल.आर. 7671/2019 नागौर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की जिसमें भी राजस्व मण्डल ने अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार बनाने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से स्वतः ही निरस्त हो गई है जिसे निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने राज्य सरकार व प्रत्यर्थी संख्या 2 की बहस सुनकर दिनांक 14–2–2020 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने गलत रूप से धारा 9 का प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया और न्यायालय को गुमराह किया। जिसे राजस्व मण्डल ने दिनांक 4–3–2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश के साथ निगरानी को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने एक अपील संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी और गलत रूप से स्वयं को व्यथित पक्षकार बताया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा एक ही आदेश की दो अलग–अलग न्यायालयों में अपील कर न्यायालय की अवमानना कारित कर कानूनी अपराध किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने व्यथित पक्षकार नहीं माना और अपीलार्थी का आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जिसकी निगरानी अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जिसमें भी अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार मानने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस में राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 4–3–2020 में व्यथित पक्षकार माना जाना अंकित किया है जबकि राजस्व मण्डल ने प्रस्तुत प्रकरण को क्षेत्राधिकार विहिन माना और निर्देश दिये कि अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही करनी है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे। अपीलार्थी द्वारा इस कथन का गलत अर्थ निकाल कर स्वयं को व्यथित पक्षकार माना जाना बताया है जो कि पूर्णतया गलत है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने स्वयं को विवादित आराजियात का सहखातेदार बताया है जबकि विवादित आराजियात का संबंध केवल प्रत्यर्थी की खातेदारी से है और प्रत्यर्थी की खातेदारी की भूमि का अपलार्थी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात साबिक खसरा

नम्बर 586 व 591 जिसके हाल खसरा नम्बर 790 व 791 है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजियात साबिक खसरा नम्बर 610 व 612 है जिसे हाल खसरा नम्बर 826 है एवं अपीलार्थी के सहखातेदार गणेश राजेश व हेमन्त भी है लेकिन उनको उक्त रास्ते से कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि कदीम से वह दुरूस्त किये गये रास्ते का ही उपयोग करते आ रहे है। इस प्रकार अपीलार्थी विवादित आराजियात का सहखातेदार नहीं होने से कतई व्यथित पक्षकार नहीं है। अपीलार्थी ने गत कथन अंकित किये है और गलत कथनों के समर्थन में अपना झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे पूर्णतया सिद्ध है कि अपीलार्थी न्यायालय को गुमराह कर आदेश प्राप्त करना चाहता है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व अन्य खातेदारों ने अपनी भूमि समर्पण कर रास्ता दिया है उक्त समर्पण पत्र को तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–9–2010 को स्वीकार किया एवं समर्पण पत्र के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जिसके अनुसार तहरीर पटवारी को जारी की गई। जिसके अनुसार पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 4260/2010 दिनांक 23–9–2010 को दर्ज कर उक्त भूमियां रास्ते के रूप में दर्ज की गई। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 612 में से गई भूमि के नये नम्बर 612/1 कायम किये गये। लेकिन पटवारी ने नामान्तरकरण की पुस्तिका की पुस्त पर खसरा नम्बर 612/1 गलत रूप से उत्तरी दिशा में दर्ज कर दिया। जिससे सर्मपर्ण किया गया मार्ग जहां समर्पण किया गया था वहां अंकित नहीं होकर गलत तरीके से अंकित हो गया एवं राजस्व रेकार्ड में रास्ता गलत रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि के बीच में अंकित कर दिया गया है जिसे दुरूस्त कराने का प्रत्यर्थी संख्या 2 को पूर्ण अधिकार है। सर्मपण पत्र के अनुसार रास्ता दुरूस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्वयं की खातेदारी की भूमि की मेड पर ही रास्ता दर्ज करवाया है इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 ने केवल खेत के बीच में दर्ज रास्ते को सुचारू रूप से चालू रास्ते की जगह दर्ज करवाया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि रास्ता गलत दर्ज हो जाने के कारण ही प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई थी जिससे भी पूर्णतया सिद्ध है कि राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज रास्ते की जगह कोई रास्ता चालू नहीं है और ना ही रास्ते बाबत अन्य खातेदारों ने कभी एतराज किया है जबकि अन्य खातेदारों ने स्वयं की खातेदारी की भूमि में से रास्ता दिया है। इस प्रकार अपीलार्थी केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 को नाजायज परेशान करना चाहता है। अपीलार्थी ने अपनी बहस के पैरा संख्या 10 के अंतिम पैरा में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने रास्ते को घुमाव देकर उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट कर दिया है जबकि वास्तव में मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 612 के दक्षिण की ओर से ही है इस प्रकार जहां मौके पर रास्ता है उसी अनुसार रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करवाया है जिससे अपीलार्थी को भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के पैरा संख्या 11 में अंकित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 612 के पश्चिम व दक्षिणी सीमा पर छोटा सा रास्ता बनाकर उसकी भूमि सरकार को समर्पित कर दी जबकि वास्तव में मौके पर रास्ता उसी जगह पर है और प्रत्यर्थी के साथ अन्य खातेदारों ने भी समर्पण किया है। उसी अनुसार मौके पर रास्ता कायम किया गया जिसको लेकर समर्पण पत्र में अंकित किसी भी खातेदार द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अपीलार्थी राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज रास्ते का फायदा उठाकर प्रत्यर्थी की भूमि के दो हिस्से करवाने पर आमादा है यदि अपीलार्थी के कथनानुसार रास्ता दर्ज किया जाता है तो प्रत्यर्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 826 के दो हिस्से हो जायेंगे जिसके अनुसार रास्ते के दोनों ओर प्रत्यर्थी की भूमि आ जायेगी जिससे प्रत्यर्थी को उक्त भूमि पर काश्त करने में भी परेशानी होगी। समर्पण पत्र तहसीलदार परबतसर द्वारा स्वीकार कर उसके अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे। इस प्रकार समर्पण पत्र के अनुसार मौके पर रास्ता कायम कर दिया गया लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलत जगह रास्ता कायम कर दिया गया जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है। जिसे धारा 136 के तहत दुरूस्त किया जाना पूर्णतया न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के किसी भी पैरा में यह नहीं बताया गयाकि रास्ता 826 की मेड से निकालने से उसे क्या नुकसान होगा जबकि अपीलार्थी के साथ अपीलार्थी के सहखातेदार गणेश, राजेश व हेमन्त भी है जिन्हें उक्त रास्ते से कोई आपत्ति नहीं है फिर भी अपीलार्थी केवल गलत व झूठे कथन कर नाजायज परेशान करना चाहता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व प्रत्यर्थी संख्या 2 के पड़ौस के खातेदारों ने अपनी खातेदारी की भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 13–9–2010 को किया गया था। जिसके आधार पर तहसीलदार, परबतसर ने राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश दिनांक 13–9–2010 को दे दिये तथा संबंधित पटवारी ने आदेशानुसार मौके पर जो भूमि समर्पण की थी उसको नजरी नक्शे में पूर्ण रूप से सहवन से अंकित नहीं किया था दौराने सेटलमेंट कर्मचारियों ने सहवन से समर्पण किये गये मार्ग को जहां पर समर्पण किया गया है वहां नक्शा ट्रेस अंकित नहीं कर गलत तरीके से दूसरे स्थान पर अंकित कर दिया। दस्तावेजात से पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस तथा वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि गै.मु.रास्ता खसरा नम्बर 613 जो पुराने नक्शे में खसरा नम्बर 612 व 610, खसरा नम्बर 584 व 614, खसरा नम्बर 583 व 613, खसरा नम्बर 582 व 623 के बीच अंकित है जो नये नक्शा ट्रेस में इस स्थान पर अंकित नहीं है तथा नये नक्शे में रास्ता खसरा नम्बर 828 नये

खसरा नम्बर 843 की उत्तरी सींव पर खसरा नम्बर 830 की उत्तरी सींव पर, खसरा नम्बर 829 की उत्तरी सींव पर तथा खसरा नम्बर 826 की उत्तरी सींव पर अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत समर्पण पत्र मय नक्शा के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 612 के पश्चिम सींव पर 10X3 गट्टा रास्ते का समर्पण किया गया है खसरा नम्बर 612 के उत्तर दिशा में कोई रास्ता समर्पण नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 612 के पश्चिमी सींव पर रास्ता अंकित नहीं कर उत्तरी दिशा में अंकित किया है जो नजरी नक्शा अनुसार यह रास्ता मौके पर पूर्व में नहीं रहा है न ही कभी उपयोग में आया है। भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 28–6–2017 को किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट में उल्लेखित है कि खसरा नम्बर 826 के पश्चिम में रास्ता मौके पर स्थित है और चालू बताया है तथा उत्तरी तरफ का रास्ता मौके पर स्थित होना व चालू होना नहीं बताया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति से भी रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 826 के पश्चिमी हिस्से पर स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है। तहसीलदार परबतसर द्वारा दिनांक 13–9–2010 को आदेश देकर समर्पण नामे के अनुसार रास्ता कायम करने की तहरीर पटवारी को जारी की थी उस तहरीर पर पटवारी द्वारा सरेण्डर भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया गया लेकिन नामान्तरकरण की पुस्त पर नक्शा बनाने के दौरान समर्पण नामे के नक्शे व आदेश के विपरीत खसरा नम्बर 612 के पश्चिम में रास्ता कायम नहीं कर उत्तर में रास्ता कायम कर दिया गया जो बिना किसी आधार के किया गया है। खसरा नम्बर 612 व 610 मिन के नये नक्बर 826 है नामान्तरकरण के समय नक्शे में जो गलती की गई थी उसे सेटलमेंट के समय दोहराया जाना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, को भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 613 की तरमीम वर्तमान खसरा नम्बर 828 पर कर दी जो मौके पर चालू है नजरी नक्शा परिशिष्ठ ब में एक्स वाई तक रास्ता बन्द है जिसकी धारा 91 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना बताया तथा राजस्व नम्शा/भू–प्रबन्ध शीट में समर्पण की कोई तरमीम अमल दरमद नहीं की है जबकि जमबंदी सम्वत 2058–61 के खाता संख्या 118 में समर्पण नामान्तरकरण संख्या 4260 द्वारा रास्ते हेतु खसरा नम्बर 612/1 रकबा 0.01 बीघा सिवायचक में दर्ज हुआ था जिसके कोई नये नम्बर नहीं मिले न ही नक्शे में इस खसरा नम्बर की तरमीम की गई तथा नक्शा परिशिष्ठ में अ रास्ता ख, ग से दर्शित रास्ता के स्थान पर सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 613 पुराना के स्थान पर नया नक्शा में खसरा नम्बर 828 की तरमीम कर दी गई। आराजी खसरा नम्बर 790 व 791 जिसके पुराने नक्बा 586, 591 का अपीलार्थी सहखातेदार है उक्त आराजी में आने जाने हेतु वर्षो पूर्व खातेदारी के दक्षिणी तरफ कटाणी रास्ता वर्तमान खसरा नम्बर 825, 826, 287 के गत खसरा नम्बर 610, 611, 612 है जिसके मध्य कटाणी रास्ता गत खसरा नम्बर 613 हाल खसरा नम्बर 828 है जिसमें वर्तमान नम्बर 791 व 826 की सीमा पर 3 मीटर से 6 मीटर चौड़ा दर्शाया हुआ है। गत नक्शे में गत खसरा नम्बर 610 व 612 के मध्य दर्शित था

जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 825 व 826 है जिसमें नजरी नक्शा में मार्क ए बी रास्ता चालू है तथा ए से सी मार्क पर अतिक्रमण कर बन्द किया हुआ है। खसरा नम्बर 828 बिन्दु डी से एफ मौके पर नहीं है बन्द किया हुआ है। उक्त कटाणी रास्ता अपीलार्थी के खेत तक जाता है तथा आगे यही रास्ता जैवलियों की ढाणी तक जाता है। जैवलियों की ढाणी के वर्तमान खसरा नम्बर 827 है उक्त कटाणी रास्ते से आवागमन उपयोग नहीं होने से खातेदार अपीलार्थी प्रभावित हो रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आराजी खसरा नम्बर 613 गैर मुमकिन रास्ता मौके पर 9 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि जो दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ही देखने मात्र से सिद्ध होती हो, को दुरूस्त किया जा सकता है। उक्त धारा के तहत अधीनस्थ न्यायलय में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को नजरी नक्शे में रास्ते का आदेश पारित करने से पूर्व पड़ौसी खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था जबकि अपीलार्थी भी प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2020 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–02–2020 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलार्थी व अन्य पड़ौसी खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से पूर्व का रेकार्ड का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर रास्ते का मौका निरीक्षण कर नजरी नक्शा ट्रेस में शुद्धिकरण के नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर